

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या - 1784/2013/अजमेर

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ए, अजमेर.

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स शारदा एजेंसी, वैशालीनगर, अजमेर.

.....प्रत्यर्थी

2. अपील संख्या - 1785/2013/अजमेर

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ए, अजमेर.

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स अजमेर टायर, खाइलड माकट, अजमेर.

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थिता :

श्री जमील जई,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री ओ. पी. दोसाया, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांक : 22/06/2015

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये दोनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 83/12-13/वैट/अजमेर में पारित किये गये आदेश दिनांक 22.5.2011 एवं अपील संख्या 89/12-13/वैट/अजमेर में पारित किये गये आदेश दिनांक 27.5.2013 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आग 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ए, अजमेर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यपकारिता परी जालौच्य अवधि वर्ष 2009-10 के लिये पारित किये गये जापेक्षक्रमांक दिनांक 19.12.2011 व 13.01.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील को स्वीकार किया है।

2. चूंकि दोनों अपील प्रकरणों के तथ्य व विवादित बिन्दु सदृश्य हैं। यह दोनों अपील प्रकरणों का निर्णय संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय का प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली पर पृथक से रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारीगण का आलौच्य अवधि वर्ष 2009-10 के लिये प्रत्यर्थी द्वारा प्रत्यर्थी किये गये विभाग विवरण प्रपत्रों में ट्रेड डिस्काउण्ट्स (क्रेडिट नोट) प्राप्त होना दर्शाया गया। यह निर्धारण अधिकारी ने न्यावहारीगण की आलौच्य अवधि के लिये टेट अधिनियम की धारा 23/21 के अन्तर्गत पारित कर निर्धारण आदेशों में सक्त टेट डिस्काउण्ट्स को विक्रय मूल्य का भाग मानते हुए इस राशि पर आई.टी.री. रिवर्स की गई तथा तदनुगार ब्याज का आरोपण किया, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

निर्णय

लगातार.....2

अपील संख्या	कर निर्धारण आदेश दिनांक	ट्रेड डिस्काउण्ट की राशि	रिवर्स कर	ब्याज
1	2	3	4	5
1784 / 13	19.12.2011	31,85,715/-	4,46,000	—
1785 / 13	13.01.2012	26,45,135/-	3,70,320	53,300

4. प्रत्यर्थीगण द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी अपीलें अपीलीय अधिकारी अपीलाधीन आदेशों से स्वीकार की जाकर, रिवर्स टैक्स व ब्याज को अपार्ट किये जाने से व्यक्ति होकर राजस्व द्वारा ये आपीलें पेश की गई हैं।

5. बहस के दौरान विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश का समर्थन करते हुए कहा कि विक्रेताओं द्वारा दिये गये ट्रेड डिस्काउण्ट की राशि प्रत्यर्थीगण के विक्रय मूल्य का भाग होने से कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारीगण की विक्रय राशि पर कररोपण करने में कोई भूल नहीं की थी। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी ने प्रकरणों के तथ्यों एवं विधिक स्थिति पर समुचित रूप से विचार किये बिंदा कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का अपार्ट करने में विधिक भूल की है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की आपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया।

6. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण का कथन है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा क्रय किये गये गारा के खरीद गूल्हे पर विक्रेता को कर दिया जाता है। प्रत्यर्थीगण ने आलौच्य अवधि में राज्य के पंजीकृत व्यवहारों से क्रय किये गये माल की खरीद पर चुकाये गये कर का इन्पुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया गया है। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के चलते प्रत्यर्थीगण को उसके विक्रेता व्यवहारी द्वारा ट्रेड डिस्काउण्ट दिया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने ट्रेड डिस्काउण्ट की राशि को विक्रय मूल्य का भाग मानते हुए पर इस पर कररोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की है। विक्रेता की ओर से प्रत्यर्थीगण का दिया गया ट्रेड डिस्काउण्ट वेट अधिनियम की धारा 2(36) के प्रावधानानुसार में विक्रेता के विक्रय गूल्हे में से कग नहीं हो सकता। अतएव विक्रेता द्वारा दें इन्वॉयस के सम्पूर्ण विक्रय मूल्य पर राज्य सरकार को वैट चुकाया जाकर को गई खरीद के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थीगण को विक्रय द्वारा दिये गये ट्रेड डिस्काउण्ट की राशि पर कर आरोपित करना पूर्ण अविधिक एवं अनुचित है। विद्वान अभिभाषक ने उक्त तर्कों के समर्थन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एस.बी. रिविल (वेट) रिवीजन पिटिशन संख्या 212/2012 वाणिज्यिक कर अधिकारी जालौर बनाम कृष्णा सीमेंट एजराज, राचोर ग पार्स न्यायालय दिनांक 09.11.2013; राजस्थान कर बोर्ड

5/2012

लगातार..... ३

न्यायिक दृष्टान्त (2012) 33 टैक्स अपडेट 199 मैसर्स हिंगड़ ट्रेडर्स उदयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं 41 टैक्स अपडेट 235 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-धौलपुर बनाम मैसर्स शिवा ट्रेडिंग कम्पनी, सैपऊ, धौलपुर के हवाला देते हुए राजस्व की अपीलें अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है।

7. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। उच्चरिता न्यायिक दृष्टान्तों का सरामान अव्ययन किया गया।

8. प्रकरणों में उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहारीगण आत्मोच्य अवधि हेतु प्रस्तुत किये गये ट्रेडिंग एकाउण्ट में विक्रेता व्यवहारी ट्रेड डिस्काउण्ट (क्रेडिट नोट) प्राप्त करना दर्शाया गया है। कर निधीराम अधिकारी द्वारा ट्रेड डिस्काउण्ट राशि को विक्रय मूल्य का भाग मानते हुए वे आरोपित किया गया है। वेट अधिनियम की धारा 2(36) में 'विक्रय मूल्य' का निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है :—

(36) "sale price" means the amount paid or payable to a dealer in consideration for the sale of any goods less any sum allowed by way of any kind of discount or rebate according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any statutory levy or any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods or services rendered at the time of or before the delivery thereof, except the tax imposed under this Act;

Explanation II. — Cash or trade discount at the time of sale as evidenced from the invoice shall be excluded from the sale price but any *ex post facto* grant of discounts as incentives or rebates or rewards and the like shall not be excluded;

9. वेट अधिनियम की धारा 2(36) की उक्त विक्रय मूल्य की परिभाषा अनुसार विक्रय इन्वॉर्यस जारी होने के बाद प्रदत्त ट्रेड डिस्काउण्ट्स को विक्रय मूल्य से कम नहीं किया जा सकता। अतः प्रत्यर्थीगण के सम्पूर्ण खरीद मूल्य पर विक्रेता द्वारा पूरा कर चुकाया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी ने वेट अधिनियम के विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थीगण की अपीले स्वीकार कर आरोपित रिवर्स टैक्स व ब्याज को अपारत करने में वात्सल्य विधिक भूल नहीं की है। विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टान्तों में भी यही मत प्रतिपादित किया गया है।

10. परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

11. निर्णय सुनाया गया।

मनोहर पुरी
सदस्य